न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 79 / 2024

अनवान : –

1. संदीप कौर पुत्री सरजीत सिंह पत्नी कुलवन्त जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 09/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 122 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 10 / 13 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम सिमरनजीतकोर पुत्री सरजीतसिंह दर्ज है जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम प्रार्थीया के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सिमरनजीतकोर पुत्री सरजीतसिंह के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थीया का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीया के पिता सरजीत सिंह [illegible] में शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 19:06:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम सिमरनजीतकोर पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सरजीतसिंह दर्ज है जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम प्रार्थीया के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सिमरनजीतकोर पुत्री सरजीतसिंह के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 122 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 10/13 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकाड है, में प्रार्थीया का नाम सिमरनजीतकोर पुत्री सरजीतसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह दर्ज है प्रार्थीया के पिता सरजीत सिंह द्वारा प्रार्थीया के नाम के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थीया मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 122 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 10/13 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीया का नाम **सिमरनजीतकोर पुत्री सरजीतसिंह के स्थान पर सिमरनजीतकौर उर्फ सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 19:06:23 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2025 / 387

दिनांक : 15/4/25

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 79 / 2024 अनवानी संदीप कौर बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 79 / 2024

अनवान : –

1. संदीप कौर पुत्री सरजीत सिंह पत्नी कुलवन्त जाति कुम्हार सिख निवासी जसाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 122 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 10 / 13 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीया का नाम **सिमरनजीतकोर पुत्री सरजीतसिंह के स्थान पर सिमरनजीतकोर उर्फ सन्दीप कौर पुत्री सरजीत सिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगा।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 19:06:23 IST
Reason: SelfAttested